रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226711
CG-DL-E-22042021-226711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2021/वैशाख 2, 1943
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2021

**सा.का.नि. 285(अ).—**पूर्व के पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 1999 की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ), द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ईंटों के विनिर्माण के लिए ऊपरी मिट्टी की खुदाई पर प्रतिबंध लगाने तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और निर्माण कार्यकलाप में फ्लाई-ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निदेश जारी किए गए थे;

और, प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान (पीपीपी) के सिद्धांत के आधार पर, ऐसा करके कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करते हुए और फ्लाई-ऐश प्रबंधन प्रणाली की संधारणीयता के लिए इन अधिसूचनाओं को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु, केंद्रीय सरकार ने मौजूदा अधिसूचनाओं की समीक्षा की; और प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सिद्धांत के आधार पर, जुर्माना/दण्ड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

और, विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा निर्माण कार्य के क्षेत्र में राख आधारित उत्पादों तथा निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य करके सतही मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा का उपाय करने, अनुमोदित परियोजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को फिर से भरने में मिट्टी की सामग्रियों से भरने के विकल्प के रूप में राख उपयोग को बढ़ावा देकर सतही मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई ऐश के निक्षेपण तथा निपटान की रोकथाम करना आवश्यक है;

और, अधिसूचना में जो 'राख' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश दोनों शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सिद्धांत के आधार पर, दण्डों/जुर्मानों की प्रणाली सहित राख के उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा लाना चाहती है;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14 सितम्बर, 1999 की फ्लाई-ऐश अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) और उसमें किए गए परवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा अब इससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ राख के उपयोग के संबंध में एक अधिसूचना प्रस्तावित की गई है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि पूरा होने की तारीख को या उस अवधि के समाप्त होने के उपरांत विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, एचएसएमडी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजे जा सकते हैं, और ई-मेल आईडी : moefcc.coalash@gov.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

**प्रारूप अधिसूचना**

**क. फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश का निपटान करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के उत्तरदायित्व:**

1. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें कैप्टिव और/या सह-उत्पादन केंद्र शामिल हैं) की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश) का नीचे अनुच्छेद में दिए गए पारि-अनुकूल तरीके से 100% उपयोग सुनिश्चित करे।

2. कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित राख का उपयोग केवल निम्नलिखित पारि-अनुकूल प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

   i. ईंट/ब्लॉक/टाइल का विनिर्माण;

   ii. सीमेंट विनिर्माण, रेडी-मिक्स कंक्रीट;

   iii. सड़क निर्माण और फ्लाई-ओवर के रेलिंग का निर्माण, राख और जिओ-पॉलीमर आधारित निर्माण सामग्री;

   iv. बांध का निर्माण;

   v. निचले क्षेत्र को भरना;

   vi. खनन कार्य से रिक्त हुए स्थान को भरना;

vii. सिंटर्ड/शीत–बद्ध राख संचय का विनिर्माण;

viii. मृदा परीक्षण के आधार पर नियंत्रित तरीके से कृषि;

ix. तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण;

x. अन्य देशों को राख का निर्यात;

xi. समय-समय पर यथाधिसूचित किसी अन्य पारि-अनुकूल प्रयोजन के लिए।

3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, सड़क कांग्रेस संस्थान तथा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राख के उपयोग के पारि-अनुकूल तौर-तरीकों की जांच करना, उनकी समीक्षा एवं अनुशंसा करना तथा प्रौद्योगिकीय विकासों तथा हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर पैरा क(2) में यथोल्लिखित ऐसे तौर-तरीकों की सूची में समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को शामिल करना/किसी तौर-तरीके को सूची से हटाना/उसमें संशोधन करना है। जब भी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यह समिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति, ताप विद्युत संयंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंत्रित कर सकती है। इस सिमति सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे पारि-अनुकूल प्रयोजन प्रकाशित करेगा।

4. प्रत्येक कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र उस वर्ष के दौरान सृजित राख (फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश) का 100% उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा। तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी वर्ष में राख का उपयोग 80% से नीचे नहीं होगा। साथ ही, उसे 3 वर्ष की अवधि में 100% औसत राख उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

परंतु, पहली बार के लिए लागू तीन वर्ष की अवधि को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60-80% के बीच होता है, हेतु एक वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60% से कम है, हेतु दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राख के उपयोग की प्रतिशतता की गणना के लिए वर्ष 2021-22 में उपयोग की प्रतिशत प्रमात्रा को ध्यान में रखा जाएगा। इसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

| तापीय विद्युत संयंत्रों के उपयोग की प्रतिशतता | 100% उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुपालन चक्र | 100% उपयोगिता प्राप्त करने के लिए द्वितीय अनुपालन चक्र |
|---|---|---|
| >80% | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
| 60-80% | 4 वर्ष | 3 वर्ष |
| <60% | 5 वर्ष | 3 वर्ष |

परन्तु, तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए 80% न्यूनतम उपयोग प्रतिशतता, क्रमश: 60-80% और <60% की उपयोगिता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वर्ष और पहले दो वर्षों पर लागू नहीं है।

परन्तु, अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष में सृजित 20% राख को अगले चक्र में ले जाया जाएगा जिसका उपयोग उस अनुपालन चक्र के दौरान सृजित राख के साथ अगले 3 वर्षों में किया जाएगा।

5. अप्रयुक्त संचित राख अर्थात् लीगेसी ऐश, जिसका इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भंडारण किया गया है, को तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) द्वारा इस रीति से क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जाएगा, कि

लीगेसी ऐश को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 वर्षों के भीतर पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा। यह उस विशिष्ट वर्ष के चालू संचालनों के माध्यम से राख उत्सर्जन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अतिरिक्त होगा।

परन्तु, निम्नलिखित प्रतिशतताओं में यथा उल्लिखित लीगेसी ऐश की न्यूनतम मात्रा का उपयोग संगत वर्ष के दौरान कर लिया जाएगा। लीगेसी ऐश की न्यूनतम प्रमात्रा की गणना टीपीपी की संस्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्सर्जन के आधार पर की जानी है।

| प्रकाशन की तिथि से वर्ष | पहला | दूसरा | तीसरा-दसवां |
|---|---|---|---|
| लीगेसी ऐश का उपयोग (वार्षिक राख की प्रतिशतता) | कम से कम 20% | कम से कम 35% | कम से कम 50% |

परन्तु, लीगेसी ऐश का उपयोग वहां अपेक्षित नहीं है, जहां राख के कुंड/डाइक स्थिर हो गए हैं और हरित पट्टी के निर्माण/पौध रोपण से पुनरूद्धार किया गया है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में प्रमाणित करेगा। किसी राख तालाब/डाइक के स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य, जिसमें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रमाणन शामिल है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख तालाबों/डाइकों में शेष बचे राख का उपयोग ऊपर उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार क्रमिक रूप से किया जाएगा।

राख के उपयोग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पैरा क(4) और क(5) के तहत दायित्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे।

6. किसी भी नए तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में 0.1 हेक्टेयर प्रति एमडब्ल्यू क्षेत्रफल के साथ आपातकालीन/ अस्थायी राख कुंड की अनुमति दी जा सकती है। राख के कुंडों/ डाइकों का तकनीकी विर्निर्देश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। ये दिशानिर्देश राख के कुंड/डाइक के संबंध में इसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण, उपलब्ध प्रमात्रा, निपटान का तरीका, निपटान में जल की खपत/संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और ग्रीन बेल्ट आदि के वार्षिक प्रमाणन के लिए कार्यविधि भी निर्धारित करेंगे और अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लदाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से किया गया है और वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी ऐहितयात किए गए हैं। इस संबंध में स्थिति की सूचना प्रपत्र-क में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को दी जाएगी।

8. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, संस्थापित क्षमता पर आधारित राख के कम से कम 16 घंटों के भंडारण के लिए समर्पित शुष्क फ्लाईऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि राख पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रपत्र-क में दी जाएगी और सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

9. प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैप्टिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी है), वास्तविक उपयोगकर्ता (कर्ताओं) के हित के लिए सीपीसीबी के वेब पोर्टल/मोबाईल फोन एप्प का लिंक उपलब्ध कराकर टीपीपी के पास राख की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।

10. राख के 100% उपयोग का वैधानिक दायित्व, जहां भी लागू हो, कानून में बदलाव के रूप में माना जाएगा।

**ख. राख के उपयोग के प्रयोजनार्थ, अनुवर्ती पैराग्राफ लागू होंगे :**

11. ऐसे सभी अभिकरण (सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी), जो सड़क बिछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों, तटीय जिलों में तटरेखा की सुरक्षा संरचनाओं और लिग्नाईट/कोयला आधारित टीपीपी से 300 किमी के भीतर बांधों जैसे निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, इन कार्यकलापों में अनिवार्य रूप से राख का उपयोग करेंगे, बशर्तें कि इसको परियोजना स्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाए और परिवहन लागत, ऐसे कोयला/लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा वहन की जाए। तथापि, यदि टीपीपी अन्य उपायों के माध्यम से राख का निपटान करने में समर्थ है और ये अभिकरण इसके लिए निवेदन करते हैं तो टीपीपी पारस्परिक सहमत हुई शर्तों के अनुसार राख की लागत और परिवहन के लिए शुल्क ले सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना लागत और बिना परिवहन शुल्क के राख उपलब्ध कराने का प्रावधान तभी लागू होगा यदि उसके लिए टीपीपी उस निर्माण अभिकरण को नोटिस जारी करता है।

12. उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

13. तापीय विद्युत संयंत्र की 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी खानों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत खुली आवर्त खानों में राख का पृष्ठ भंडारण करना/अधिक भार के ढेरों के साथ राख का मिश्रण करना बाध्यकारी होगा। सभी खान के स्वामी/प्रचालक (चाहे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हो) कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से 300 (तीन सौ) किलोमीटर (सड़क द्वारा) के भीतर, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर बर्डन के बाह्य निक्षेप खान की बैकफिलिंग अथवा स्टोविंग (प्रचालित या छोड़ी गई खानों, जैसा भी मामला हो) के लिए उपयोग की गई सामग्रियों के भार-दर-भार के आधार पर कम से कम 25% राख को मिश्रित करने के लिए उपाय करेंगे, बशर्ते कि ऐसे तापीय विद्युत केन्द्र निशुल्क राख प्रदान करके और परिवहन की लागत को वहन करके या पारस्परिक सहमत हुई शर्तों पर लिए गए निर्णय के अनुसार लागत/परिवहन व्यवस्था करके राख की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुकर बनायेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लागत मुक्त ऐश और नि:शुल्क परिवहन का उपबंध केवल तभी लागू होगा यदि टीपीपी इसके लिए खान मालिक को नोटिस देता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने और खान में खाली स्थान को भरने के लिए ऐश के 25% हिस्से के उपयोग का अधिदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि टीपीपी द्वारा खान मालिक को नोटिस न दिया गया हो।

खानों के खाली स्थानों और ढेरो में अधिकभार के साथ ऐश को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

उक्त कार्यकलापों में ऐश का उपयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, खान सुरक्षा और भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

14. सभी खान मालिकों को खान में खाली स्थानों में ऐश को समायोजित करने के लिए संशोधित खान बंद योजना (प्रगामी और अंतिम) तैयार करनी होगी। खान में खाली स्थान में ऐश के निपटान और अधिभार वाले ढेर के साथ ऐश को मिश्रित करने के लिए खान योजनाओं को संबंधित प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी में संशोधन की आवश्यकता से छूट देने के साथ-साथ ऐसे निपटान के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 28 अगस्त, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए। मंत्रालय, सीपीसीबी, डीजीएमएस और आईएमबी के साथ परामर्श करके, खानों में खाली स्थानों में ऐश के निपटान

करने तथा अधिभार वाले ढेरो में इसे मिश्रित करना सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आगे भी दिशानिर्देश जारी कर सकता है। यह खान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी खानों को अभिज्ञात करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अनुमतियों में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन प्राप्त करेंगे।

15. पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सुरक्षा, व्यवहार्यता (आर्थिक व्यवहार्यता नहीं) और पहलुओं की जांच सहित ऐश से खान में खाली स्थान को वापस भरने/अधिभार वाले ढेर के साथ ऐश को मिश्रित करने के लिए खानों की पहचान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खान ब्यूरो से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अध्यक्ष, सीपीसीबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति हितधारक मंत्रालयों/विभागों के लिए अभिज्ञात खानों (भूमिगत और खुली, दोनों) के संबंध में तैयार की गई तिमाही रिपोर्टों को अद्यतन करेगी। यह समिति, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद उपयुक्त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी।

ताप विद्युत संयंत्र/खानें, उपरोक्त अनुसार अधिदेशित उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त समिति द्वारा पहचान किए जाने तक ऐश के निपटान हेतु प्रतीक्षा नहीं करेंगी।

16. ऐश से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवस्थान, क्षेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।

17. सीपीसीबी, संगत हितधारकों के साथ मिलकर, सीपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस अधिसूचना के तहत परिकल्पित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक (01) वर्ष के भीतर दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगा।

18. कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से तीन सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राथिकरणों सरकारी उपक्रमों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा सभी निजी अभिकरणों) राख की ईटों, टाईल्स, धातुमल राख अथवा अन्य राख आधारित उत्पादों का उपयोग करेंगी बशर्ते कि वे वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक कीमत पर उपलब्ध न हो।

19. राख आधारित उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे उत्पादों में राख के उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों की अनुपालना होगी।

**ग. गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना:**

20. तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षो में, यदि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ अथवा सह-उत्पादक स्टेशनों सहित) ने कम-से-कम 80% राख (फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि यह 3 वर्ष के चक्र के तीसरे वर्ष में 100% राख का उपयोग करने में असमर्थ है, तो वह अप्रयुक्त मात्रा पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माने देय होगा, जिस पर पहले जुर्माना नहीं लगाया गया है।

बशर्ते कि जुर्माने का पैरा क(4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में अनुमान लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

21. अधिकारियों द्वारा एकत्रित जुर्माना सीपीसीबी के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा।

22. धरोहर (लैगेसी) राख के मामले में यदि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/अथवा सह-उत्पादक स्टेशनों सहित) ने स्थापित क्षमता पर आधारित उत्पन्न राख का कम-से-कम 20% (प्रथम वर्ष के लिए), 35% (द्वितीय वर्ष के लिए), 50% (तीसरे से दसवें वर्ष तक) उपयोग के बराबर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त विरासत (लैगेसी) राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 10 वर्ष के अंत में विरासत राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो 1000 रुपए प्रति टन की दर से शेष अप्रयुक्त मात्रा पर जुर्माना लगाया जाएगा जिस पर पहले जुर्माना नहीं लगाया गया।

23. अधिकृत खरीददारों/उपभोक्ता अभिकरणों तक राख भेजने की जिम्मेदारी परिवाहकों/वाहन मालिक की जिम्मेदारी है। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं अथवा गैर-अधिकृत उपयोगर्ताओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से वितरित करने पर 1500 रूपए प्रतिटन की दर से जुर्माना लगेगा इसके अतिरिक्त एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा गैर अनुपालन कर्ता परिवाहकों पर अभियोजन लागू होगा।

24. इस अधिसूचना के पैरा ख में विहित पर्यावरण अनुकूल तरीके में राख के उपयोग की जिम्मेदारी खरीददार/उपभोगकर्ता एजेंसियों की है। ऐसा नहीं करने पर एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 1500 रूपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

25. यदि उपयोगकर्ता एजेंसियां पैरा ख के अधीन निर्धारित सीमा तक अथवा पैरा घ (27) के तहत दिए गए नोटिस के माध्यम से सूचित की गई सीमा तक, जो भी कम हो, राख का उपयोग नहीं करती है, वे अतिरिक्त राख की मात्रा का 1500 रूपए प्रति टन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

26. तापीय ऊर्जा संयंत्रों तथा अन्य बकायादारों पर सीपीसीबी द्वारा लगाए जुर्माने का उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान हेतु किया जाएगा। अनुप्रयुक्त मात्रा पर लगाए गए जुर्माने के बाद भी राख उपयोग की जिम्मेदारी तापीय ऊर्जा संयंत्रों की होगी। यदि बाद के चक्रों में जुर्माना लगाने के बार तापीय ऊर्जा संयंत्र किसी विशेष चक्र के राख के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अगले चक्र के दौरान अप्रयुक्त मात्रा पर एकत्र किए गए जुर्माने में 10% कटौती के बाद उक्त राशि तापीय ऊर्जा संयंत्र को वापस कर दी जाएगी। बाद के चक्रों में राख के उपयोग के मामले में एकत्र किए गए जुर्माने की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और उसी क्रम में कटौती की जानी है।

**घ. राख/राख आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया :**

27. तापीय ऊर्जा संयंत्रों के मालिक अथवा राख की ईटों/टाईल्स/धातुमल आधारित राख के विनिर्माता उन व्यक्तियों/अभिकरणों को लिखित सूचना देंगे जो बिक्री और/या परिवहन के लिए प्रस्तुत राख अथवा राख आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

28. ऐसे व्यक्ति/उपयोगकर्ता एजेंसियां जिन्हें तापीय ऊर्जा संयंत्रों के मालिक द्वारा अथवा राख की ईंटों/टाईल्स/धातुमल आधारित राख के उत्पादकों द्वारा नोटिस दिया गया है, यदि वे पहले ही राख/राख उत्पादों के उपयोग के उद्देश्य से अन्य एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे किसी भी राख/राख उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, तदनुसार तापीय ऊर्जा संयंत्र को सूचित करेंगे।

**ङ. प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और संसूचना :**

29. प्रावधानों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे। सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही आधार पर ऐश के उपयोग की निगरानी करेंगे। सीपीसीबी इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से छः माह के भीतर एक पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती न्याय अधिकार होगा।

30. टीपीपी ऐश उत्सर्जन और उपयोग से संबंधित मासिक सूचना वेब पोर्टल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी टीपीपी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों का समेकन किया जाएगा और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा। सभी अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी अथवा एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ), जो भी लागू हो, की अनुपालना रिपोर्ट में इस अधिसूचना में अधिदेशित अनुसार ऐश के उपभोग/उपयोग/निस्तारण तथा ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग संबंधी सूचना प्रस्तुत करेंगे।

सीपीसीबी/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पीसीसी अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु तापीय ऊर्जा संयंत्रों के अलावा अन्य सभी एजेंसियों की ऐश उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

31. इस अधिसूचना के प्रावधानों की निगरानी और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सीपीसीबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्यम विभाग से होंगे। यह समिति संगत हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है। यह समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। यह समिति छ: माह में कम से कम एक बार एक बैठक करेगी और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी।

32. टीपीपी और ऐश प्रयोक्ताओं/ऐश आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच के विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि उस विभाग का होगा, जो विवाद वाली संबंधित अभिकरण का कार्यदेख रहे हैं।

33. सीपीसीबी द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा किए गए ऐश निपटान की अनुपालन लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करने वाले टीपीपी के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगें।

[फा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

**अनुबंध-क**

राख अनुपालन रिपोर्ट (1 अप्रैल-31 मार्च की अवधि के लिए) 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत की जाए।

| क्र. सं. | विवरण | |
|---|---|---|
| 1. | कंपनी का नाम और पावर प्लांट का नाम | |
| 2. | पावर प्लांट की क्षमता (एमडब्ल्यू) | |
| 3. | प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) | |
| 4. | कोयले की खपत की मात्रा (एमटीपीए) | |
| 5. | राख उत्पादन की मात्रा (एमटीपीए) | |
| 6 | 1 अप्रैल से पहले लीगेसी राख की मात्रा (एमटीपीए) | |
| 7. | ऐश पॉड का विवरण:<br>(कृपया सभी विवरण स्पष्ट करें, यदि ऐश पॉड की संख्या अधिक है।)<br>क) क्षेत्रफल (हेक्टेयर):<br>ख) आयतन (मि.घन)<br>ग) नियामक (चौड़ाई और लंबाई):<br>(कृपया कम से कम 4 नियामकों का स्पष्ट विवरण दें) | |
| 6 | ऐश पॉड की वर्तमान स्थिति:<br>क) आयतन उपलब्धता (मि.घन)<br>ख) संभावित जीवन (वर्ष):<br>ग) भूमि उद्धार का विवरण: | |
| 7 | प्रयुक्त फ्लाई-ऐश की मात्रा (एमटीपीए):<br>अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त फ्लाई-ऐश:<br>अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त लीगेसी फ्लाई-ऐश | |
| 8. | अप्रयुक्त फ्लाई-ऐश की मात्रा (एमटीपीए):<br>अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त फ्लाई-ऐश:<br>अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त लीगेसी फ्लाई-ऐश<br>कुल अप्रयुक्त शेष | |
| 9. | अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर<br>ईमेल और संपर्क | |

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2021

**G.S.R. 285(E).—**Whereas by Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, to implement these Notifications more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 % utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing Notifications; and whereas penalties/fines need to be introduced based on the polluter pays principle;

And whereas, there is a need to conserve top soil by promoting manufacture and mandating use of ash based products and building materials in the construction sector;

And whereas, there is a need to conserve top soil and natural resources by promoting utilisation of ash in road laying, road and flyover embankments, shoreline protection measures, low lying areas of approved projects, backfilling of mines, as an alternative for filling of earthen materials.

And whereas, it is necessary to protect the environment and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land;

And whereas, in the Notification the phrase 'ash', has been used, it includes both fly ash as well as bottom ash generated from Coal or Lignite based Thermal Power Plants;

And whereas, the Central Government intends to bring out a comprehensive framework for ash utilisation including system of fines/penalties based on polluter pays principle;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 and the subsequent amendments, the Central Government has now proposed a Notification on ash utilisation for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft Notification within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, HSM Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110003, and may be sent to e-mail id: moefcc.coalash@gov.in.

### Draft Notification

**A. Responsibilities of Thermal Power Plants (TPPs) to dispose fly ash and bottom ash:**

1. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and / or co-generating stations) shall be primarily responsible to ensure 100% utilisation of ash (fly ash, and bottom ash) generated by it in an eco-friendly manner as given in para below.
2. The ash generated from coal or lignite based Thermal Power Plants (TPP) shall be utilised only for the following eco-friendly purposes:
   - i. Manufacturing of brick /blocks/tiles;
   - ii. Cement manufacturing, ready mix concrete;
   - iii. Construction of road and fly over embankment, Ash and Geo-polymer based construction material;
   - iv. Construction of dam;
   - v. Filling up of low lying area;
   - vi. Filling of mine voids;
   - vii. Manufacturing of sintered/ cold bonded ash aggregate;

viii. Agriculture in a controlled manner based on soil testing;

ix. Construction of shoreline protection structures in coastal districts;

x. Export of ash to other countries;

xi. Any other eco-friendly purpose as notified from time to time.

3. A committee shall be constituted under the chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB) and having representatives from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Ministry of Road Transport and Highways, Dept. of Agricultural Research & Education, Institute of Road Congress, National Council for Cement and Building Materials, to examine and review and recommend the eco-friendly ways of utilisation of ash and make inclusion/ exclusion/modification in the list of such ways as mentioned in Para A(2) based on technological developments and requests received from stakeholders. The committee may invite SPCB/PCC, operators of Thermal Power Plants & mines and other stakeholders as and when required for this purpose. Based on the recommendations of the Committee, MoEF&CC may publish such eco-friendly purpose.

4. Every coal/lignite based thermal power plant shall be responsible to utilise 100% ash (fly ash and bottom ash) generated during that year. However, in no case shall utilisation fall below 80 % in any year. Also, it should achieve average ash utilisation of 100% in a 3 year cycle.

Provided the three year cycle applicable for the first time is extendable by one year for the Thermal Power Plants where ash utilisation is in the range of 60-80%, and two years where ash utilisation is below 60%. For the calculation of percentage of ash utilisation, the percentage quantity of utilisation in the year 2021-22 shall be taken into account. The same has been detailed in the table below:

| Utilisation percentages of Thermal Power Plants | First compliance Cycle to meet 100% utilisation | Second compliance cycle onwards, to meet 100% utilisation |
|---|---|---|
| >80% | 3 years | 3 years |
| 60-80% | 4 years | 3 years |
| <60% | 5 years | 3 years |

Provided the minimum utilisation percentage of 80% is not applicable to the first year and first two years of the first compliance cycle for the TPPs under the utilisation category of 60-80% and <60%, respectively.

Provided 20% of ash generated in the final year of compliance cycle may be carried forward to the next cycle which shall be utilised in the next 3 year cycle along with the ash generated during that cycle.

5. Unutilized accumulated ash i.e. legacy ash, which is stored before the publication of this Notification, shall be utilized progressively by the TPPs in such a manner that the utilization of legacy ash shall be completed fully within 10 years from the date of publication of this Notification. This would be over and above the utilisation targets prescribed for ash generation through current operations of that particular year.

Provided the minimum quantity of legacy ash in percentages as mentioned below shall be utilised during the corresponding year. The minimum quantity of legacy ash is to be calculated based on the annual ash generation as per installed capacity of TPP.

| Year from date of publication | 1st | 2nd | 3rd -10th |
|---|---|---|---|
| Utilisation of legacy ash (in percentage of Annual ash) | At least 20% | At least 35% | At least 50% |

Provided the legacy ash utilisation is not required where ash pond/dyke has stabilised and the reclamation has taken place with greenbelt/plantation. Concerned State Pollution Control Board shall certify in this regard. Stabilisation and reclamation of an ash pond/dyke including certification by CPCB/SPCB shall be carried out within a year from the date of publication of this Notification. The ash remaining in all other ash ponds/dykes shall be utilised in progressive manner as per the above mentioned timelines.

The obligations under Para A(4) and A(5) above for achieving the ash utilisation targets shall be applicable from 1st April, 2022.

6. Any new Thermal Power Plant may be permitted an emergency/temporary ash pond with an area of 0.1 hectare per MW. Technical specifications of ash ponds/dykes will be as per the guidelines of CPCB made in consultation with Central Electricity Authority (CEA). These guidelines shall also prescribe a procedure for

annual certification of the ash pond/dyke on its safety, environmental pollution, available volume, mode of disposal, water consumption/conservation in disposal, ash water recycling and greenbelt, etc., and shall be put in place within 3 months from the date of publication of the notification.

7. Every coal or lignite based thermal power plant shall ensure that loading, unloading, transport, storage and disposal of ash is done in an environmentally sound manner and that all precautions to prevent air and water pollution are taken. Status in this regard shall be reported to the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) in Form A.

8. Every coal or lignite based thermal power plant shall install dedicated dry fly ash silos for storage of at least 16 hours of ash based on installed capacity, having separate access roads so as to ease the delivery of ash. It shall be reported upon to the concerned SPCB/PCC in the Form A and shall be inspected by CPCB/SPCBs from time to time.

9. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and or co-generating stations) shall provide real time data of availability of ash with TPP, by providing link to CPCB's web portal/ mobile phone App for the benefit of actual user(s).

10. Statutory obligation of 100% utilisation of ash shall be treated as a change in law, wherever applicable.

B. **For the purpose of utilisation of ash, the subsequent paras shall apply:**

11. All agencies (Government, Semi Government and Private) engaged in construction activities such as road laying, road and flyover embankments, shoreline protection structures in coastal districts and dams within 300 km from the lignite/coal based TPPs shall mandatorily utilise ash in these activities, provided it is delivered at the project site free of cost and transportation cost is borne by such coal/lignite based thermal power plants. However, TPP may charge for ash cost and transportation as per mutually agreed terms, in case TPP is able to dispose the ash through other means and those agencies makes a request for it. It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPP serves a notice on the construction agency for the same.

12. The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government Agencies.

13. It shall be obligatory on all mines located within 300 kilometres radius of TPP, to undertake backfilling of ash in mine voids/mixing of ash with external Overburden dumps, under Extended Producer Responsibility (EPR). All mine owners/operators (Government, Public and Private Sector) within 300 (three hundred) kilometres (by road) from coal or lignite based thermal power plants, shall undertake measures to mix at least 25% of ash on weight to weight basis of the materials used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine (running or abandoned as case may be) as per guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS), provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quantity of ash by delivering ash free of cost and bearing the cost of transportation or cost/transportation arrangement decided on mutually agreed terms.

It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPPs serve a notice on the mine owner for the same. It is also made clear that mandate of using 25% of ash for mixing with overburden dump and filling up of mine voids would not be applicable unless a notice is served on the mine owner by TPP.

Mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification.

The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, Director General of Mines Safety and Indian Bureau of Mines.

14. All mine owners shall get mine closure plans (progressive and final) amended to accommodate ash in the mine voids. Concerned authority shall approve mine plans for disposal of ash in mine voids and mixing of ash with overburden dumps. The MoEF&CC issued guidelines on 28th August, 2019 regarding exemption of requirement of amendment in Environmental Clearance of Thermal Power Plants and Coal mines along with the guidelines to be followed for such disposal. The Ministry in consultation with CPCB, DGMS & IBM may issue further guidelines time to time to facilitate ash disposal in mine voids and mixing with overburden dumps. It shall be the responsibility of mine owners to get the necessary amendments/modifications in the permissions issued by various regulatory authorities within one year from the date of identification of such mines.

15. There shall be a committee headed by Chairperson, CPCB with representatives from MoEF&CC, Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Director General of Mine Safety and Indian Bureau of Mines for identification of mines for backfilling of mine voids with ash/ mixing of ash with overburden dump including examination of safety, feasibility (not economic feasibility) and aspects of environmental contamination. This committee shall get updated quarterly reports prepared regarding identified mines (both underground and opencast) for the stakeholder Ministries/Departments. The committee shall start identifying the suitable mines immediately after the publication of this notification.

    Thermal Power Plants/ Mines shall not wait for disposal of ash till the identification is done by the above mentioned committee, to meet the utilisation targets mandated as above.

16. Filling of low lying areas with ash shall be carried out with prior permission of State Pollution Control Board for approved projects, and in accordance with guidelines laid down by CPCB. State Pollution Control Board/PCC shall publish approved sites, location, area and permitted quantity annually on its website.

17. CPCB after engaging relevant stakeholders, shall put in place the guidelines within 01 year for all types of activities envisaged under this notification including putting in place time bound online application process for the grant permission by SPCBs/PCCs.

18. All building construction projects (Central, State & Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of three hundred kilometres from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not higher than the price of alternative products.

19. Manufacturing of ash based products and use of ash in such products shall be in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board.

C. **Fines for non-compliance:**

20. In the first two years of a three year cycle, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved at least 80 % ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant TPPs shall be imposed with a fine of Rs. 1000 per ton on unutilised ash during the end of financial year based on the annual reports submitted. Further, if it is unable to utilise 100% of ash in the third year of the 3 year cycle, it would be liable to pay a fine of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which fine has not been imposed earlier.

    Provided the fine shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories at mentioned in Para A(4).

21. Fine collected by the authorities shall be deposited in the designated account of CPCB.

22. In case of legacy ash, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved utilisation equivalent to at least 20% (for the first year), 35% (for the second year), 50% (for third to tenth year) of ash generated based on installed capacity, a fine of Rs. 1000 per ton of unutilised legacy ash during that financial year will be imposed. If the utilization of legacy ash is not completed at the end of 10 years, a fine of Rs.1000 per ton will be imposed on the remaining unutilised quantity which has not been fined earlier.

23. It is the responsibility of the transporters/vehicle owner to deliver ash to authorised purchaser/user agency. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 per ton on such quantity as mis-delivered to unauthorised users or non- delivered to authorised users will be imposed besides prosecution of such non-compliant transporters by SPCB/PCC.

24. It is the responsibility of the purchasers/user agencies to utilise ash in an eco-friendly manner as prescribed at para B of this Notification. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 / per ton shall be imposed by SPCB/PCC.

25. If the user agencies do not utilise ash to the extent obligated under para B or the extent to which they have been intimated through Notice(s) served under Para D(27) whichever is lower, they would be liable to pay Rs. 1500 per ton of ash for the quantity they fall short off.

26. The fine collected by CPCB from the TPPs and other defaulters shall be used towards the safe disposal of the unutilised ash. The liability of ash utilisation shall be with TPPs even after imposition of fines on unutilised quantities. In case TPP achieves the ash utilisation of any particular cycle after imposition of fine in subsequent cycles, the said amount shall be returned to TPP after deducting 10% of the fine collected on the unutilised quantity during the next cycle. Deduction of 20%, 30%, and so on, of the fine collected is to be made in case of utilisation of ash in subsequent cycles.

D. **Procedure for supply of ash/ ash based products:**

27. The owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate shall serve written Notice to persons/agencies who are liable to utilise ash or ash based products, offering for sale, and/ or transport.

28. Persons/ user agencies who have been served Notices by owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash / ash products, shall inform the thermal power plant accordingly, if they cannot use any ash / ash products or use reduced quantity.

E. **Enforcement, Monitoring, Audit and Reporting:**

29. The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions. CPCB/SPCB/PCC shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. CPCB shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this Notification.

30. TPPs shall upload monthly information regarding ash generation and utilisation by 5th of the next month on the web portal. Annual implementation report (for the period 1$^{st}$ April to 31$^{st}$ March) providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30$^{th}$ day of April, every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC), Central Electricity Authority (CEA), and concerned Integrated Regional Office of MoEF&CC by the coal or lignite based thermal power plants. CPCB and CEA shall compile the annual reports submitted by all the TPPs and submit to MoEF&CC by 31st May. All other user agencies shall submit consumption/utilisation/disposal of ash and use of ash based products as mandated in this Notification in the compliance report of Environmental Clearance (EC) issued by MoEF&CC/SEIAA or Consent to Operate (CTO) issued by SPCB/PCC, whichever is applicable.

    CPCB/State Pollution Control Board/PCC shall publish annual report of ash utilisation of all other agencies except Thermal Power Plants to review the effective implementation of the provisions of the notification.

31. For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification, a committee shall be constituted under Chairperson, CPCB, with members from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Mines, MoEF&CC, Ministry Road Transportation & Highways and Department of Heavy Industry. The committee may invite relevant stakeholders. The committee may make recommendations for effective and efficient implementation of the provisions of the notification. The committee shall meet at least once in six months and review annual implementation reports.

32. For the purpose of resolving disputes between TPPs and users of ash/ manufacturer of ash based products, the State Governments or Union Territory Governments shall constitute a Committee within three months from the date of publication of this notification under the Chairman, SPCB/PCC with representatives from Department of Power, and one representative from the Department which deals with the subject of concerned agency with which dispute is made.

33. Compliance audit for ash disposal by the Thermal Power Plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by CPCB and audit report shall be submitted to CPCB and concerned SPCB/PCC by 30th November every year. CPCB and concerned SPCB/PCC shall initiate action against non-compliant TPPs within 15 days of receipt of audit report.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

**Annexure-A**

Ash Compliance Report (for the period 1st April-31st March) to be submitted on or before 31st May.

| Sl.No. | Details | |
|---|---|---|
| 1. | Company Name and Power Plant Address: | |
| 2. | Power Plant Capacity (MW): | |
| 3. | Plant Load Factor (PLF): | |
| 4. | Quantity of coal consumption (MTPA): | |
| 5. | Quantity of ash generation (MTPA): | |
| 6 | Quantity of Legacy Ash before 1st April (MTPA): | |
| 7. | Ash pond details:<br>(pls specify all, if number of ash ponds is more)<br>a) area (hectares):<br>b) volume ($m^3$) :<br>c) co-ordinates (Lat & Long):<br>(pls specify minimum 4 co-ordinates) | |
| 6 | Present Status of ash pond:<br>a) Volume availability (m3),<br>b) expected life (years):<br>c) Details of Reclamation: | |
| 7 | Quantity of Flaysh Utilised (MTPA):<br>Flyash utilised during the April-March:<br>Legacy Flyash utilised during April-March: | |
| 8. | Quantity of flyash unutilised (MTPA):<br>Flyash utilised during the April-March:<br>Legacy Flyash utilised during April-March:<br>Total balance unutilised: | |
| 9. | Signature of Authorised Signatory<br>E-mail & Contact: | |

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2021.04.22 16:58:02 +05'30'